G-STAR RAW

G-STAR SUPPLIER CODE OF CONDUCT MARCH 2014

G-Star RAW सप्लायर आचार-संहिता

G-Star अपने उपभोक्ताओं के लिए अच्छे मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले और नैतिकता से निर्मित उत्पाद उत्पादित करने के लिए वचनबद्ध है। G-Star सप्लायर आचार-संहिता में उन स्थितियों के लिए G-Star की अपेक्षाएँ सूचीबद्ध की गई हैं, जिनके अंतर्गत इसके उत्पादों का निर्माण हो।

G-Star केवल उन्हीं सप्लायरों के साथ व्यापार करने के लिए वचनबद्ध है जो निष्पक्ष और सुरक्षित श्रम प्रथाओं के प्रति इसकी वचनबद्धता साझा करते हैं और अपने कार्य क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति सचेत प्रथाओं के पालन करते हैं।
यह सप्लायर आचार-संहिता उन सभी सप्लायरों और/या उप-सप्लायरों पर लागू होती है जो G-Star RAW C.V. या G-Star Raw C.V. की किसी सहयोगी कंपनी को उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।

यह आचार-संहिता उन अपेक्षाओं को साफ और उन्नत करती है जो हम उन सप्लायरों से रखते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और उन न्यूनतम सामाजिक और पर्यावरण मानकों का उल्लेख करती है, जिनका हम चाहते हैं कि प्रत्येक फ़ैक्टरी पालन करे।

इसे निरंतर बेहतर बनाया जाएगा और G-Star अपने सभी सप्लायरों को लगातार अपनी निष्पक्ष और सुरक्षित श्रम और पर्यावरण प्रथाओं का सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि किसी भी आचार-संहिता में सभी पहलू शामिल नहीं हो सकते, इसलिए G-Star अपेक्षा रखती है कि जिन फ़ैक्टरियों में G-Star के उत्पादों का निर्माण हो रहा है, वहाँ सप्लायर ध्यान दें कि किसी असुरक्षित, शोषक या पर्यावरण विरोधी प्रथा का पालन नहीं हो रहा।

हमारा आम नियम है कि हमारे सभी सप्लायर, उप ठेकेदार और अन्य व्यापार सहयोगी अपनी सभी गतिविधियों में अपने-अपने देश के राष्ट्रीय क़ानूनों का पालन अवश्य करें। यदि इस आचार-संहिता की कोई अपेक्षा किसी देश के कानून के विरुद्ध जाती है तो हमेशा उस देश के कानून का पालन किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में इस आचार-संहिता पर हस्ताक्षर करने से पहले सप्लायर को G-Star को सूचित करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना सप्लायर का दायित्व है कि उसके उप-ठेकेदार और व्यापार सहयोगी इस सप्लायर आचार संहिता को लागू करें और इसका पालन करें।

हमारी मंशा केवल ऐसे सप्लायरों के साथ काम करने की है जो हमारे मूल्य साझा करते हैं और ऐसे किसी सप्लायर के साथ काम नहीं करना चाहते जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने (स्वीकृत) उप-ठेकेदारों या व्यापार सहयोगियों के माध्यम से उस देश के कानूनों का उल्लंघन करता है, जहां यह निर्माण कार्य हो रहा है या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करता है। ऐसी किसी अवहेलना सूचित किए जाने पर G-Star तुरंत और उचित कार्यवाही करेगी।

1. रोजगार का चयन मुक्त रूप से किया जाता है

1.1 आम तौर से बेगार के 3 रूप हैं :

- कारागार श्रम वह काम है जो कैदी अपनी सज़ा के भाग के रूप में करते हैं और आम तौर पर इसका कोई मुआवजा नहीं होता।
- अनुबंधित श्रम वह है जो ऐसा कर्मचारी अनुबंध के माध्यम से निश्चित अवधि करता हो जो नियोक्ता से बँधा होता है।
- बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी प्रथा है, जहां नियोक्ता कामगारों को उच्च ब्याज पर ऋण देते हैं और भरपाई के लिए उनसे कम वेतन पर मजदूरी करवाते हैं।

G-Star किसी भी रूप में जबरन श्रम के उपयोग को बर्दाश्त नहीं करती।

1.2 कर्मचारियों को किसी प्रकार का धन जमा नहीं करवाना होता या सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट या कार्य परमिट नहीं देना पड़ता।

1.3 कर्मचारी सदा फ़ैक्टरी छोड़ने के लिए उन्मुक्त होने चाहिए और जो लोग नियोक्ता द्वारा नियंत्रित आवासों में रहते हैं उनके आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।

2. संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी

2.1 सप्लायरों को चाहिए कि वे अपने विचार, टिप्पणियाँ और चिंताएँ व्यक्त करने के लिए प्रबंधन और कामगारों के बीच उन्मुक्त संवाद को प्रोत्साहन दें और साथ ही कामगारों के संघों, संगठन और सामूहिक सौदेबाजी की आज़ादी के अधिकार का भी सम्मान करें।

2.2 नियोक्ता कामगारों के संगठित होने के कानूनी प्रयासों में कोई अड़चन, धमकी, आक्षेप या बाधा न उत्पन्न करें।

2.3 कामगारों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन्हें कार्यस्थल पर ही प्रतिनिधित्व का काम करने की अनुमति होनी चाहिए।

2.4 जहां संघ और सामूहिक सौदेबाजी नियमों के अंतर्गत निषिध है, वहाँ नियोक्ता को चाहिए कि वह समानान्तर संघ और सामूहिक सौदेबाजी की प्रणाली विकसित होने में बाधा न बने बल्कि इसमें सहयोग दे।

3. कार्य परिस्थितियाँ सुरक्षित और स्वस्थ हों

3.1 सप्लायरों को चाहिए कि वे कामगारों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित कार्य स्थल प्रदान करें, ताकि इन सुविधाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट आदि से बचा जा सके।

3.2 सप्लायर यह भी सुनिश्चित करें कि यही मानक आम आवासीय सुविधाओं और कैंटीन पर भी लागू हों।

3.3 स्वच्छ प्रसाधन, पीने का साफ पानी और जहां उपयुक्त हो, भोजन के भंडारण की साफ जगह उपलब्ध करवाई जाए।

3.4 कामगारों को निरंतर और रिकार्ड-सहित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और नए या पुनः नियुक्त कामगारों के लिए इसे दोहराया जाना चाहिए।

3.5 सप्लायर स्वास्थ्य और सुरक्षा का दायित्व प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधि को सौंपे।

4. बाल श्रम का उपयोग न हो

4.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के नियमों सी 138 और/या सी 182 के अंतर्गत दिए गए नियमों के अनुसार सप्लायर बाल श्रम से दूर रहें।

4.2 फ़ैक्टरी में केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो जो उस स्थान पर लागू न्यूनतम आयु सीमा प्राप्त कर चुका हो या कम-से-कम 15 वर्ष का हो चुका हो, दोनों में से जो अधिक हो, या अपवाद के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन के नियम सी 138 के अनुच्छेद 2.4 के तहत दिए देशों में 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। यह निर्दिष्ट उम्र अनिवार्य स्कूली शिक्षा पूरा होने की उम्र से कम नहीं होगी।

4.3 किसी भी कामगार के आधिकारिक आयु संबंधी दस्तावेज़ किसी भी समय देखने के लिए उपलब्ध हों। जिन देशों में आयु निर्धारण संबंधी आधिकारिक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ फ़ैक्टरी प्रबंधन इसके निर्धारण के उपयुक्त और विश्वसनीय तरीके उपयोग करें।

4.4 18 साल की आयु से कम कामगारों को खतरनाक या रात के कामों में न लगाया जाए।

4.5 यदि कोई बालक श्रम करता पाया जाता है तो सप्लायर को चाहिए कि ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में भागीदार बने जिनके तहत यह बच्चा वयस्क होने तक गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके।

5. सभी कामगारों को वेतन और लाभ दिए जाएं

5.1 सप्लायरों को चाहिए कि वे कामगारों को उनके काम पर आधारित नियमानुसार न्यूनतम वेतन या स्थानीय उद्योग वेतन (जो भी अधिक हो) अदा करें। मजदूरी हमेशा बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने और कुछ विवेकाधीन आय प्रदान करने के लिए काफ़ी होनी चाहिए।

5.2 सप्लायर कामगारों को सभी नियम-संगत लाभ, जैसे वार्षिक छुट्टी और अवकाश आदि उपलब्ध करवाएँ।

5.3 कामगारों को उनकी देय राशि समय पर मिले। नियमित समय के मुआवज़े के अतिरिक्त उनको ओवर टाइम के लिए उच्च दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
काम आधारित दर के कर्मी ओवरटाइम मुआवज़े के अधिकार से दूर नहीं होंगे।

5.4 सभी कामगारों को काम से पहले ही उनके रोज़गार की शर्तों, जैसे वेतन और लाभ आदि के विषय में लिखित सूचना दी जानी चाहिए, और हर बार वेतन के समय उस अवधि के वेतन की विस्तृत जानकारी भी दी जानी चाहिए।

5.5 कर्मचारी की अनुमति के बिना किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वेतन में से कटौती या राष्ट्रीय नियमों के बाहर किसी प्रकार की कटौती का निषेध है। किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही रिकॉर्ड की जाए।

6. कार्य के घंटे अत्यधिक न हों

6.1 सप्लायर ध्यान रखें कि काम के नियमित घंटे या ओवर टाइम के घंटे स्थानीय या उद्योगीय नियमों से अधिक न हों, इनमें से जो भी अधिक सुरक्षा प्रदान करे। किसी भी परिस्थिति में कामगार प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम न करे और प्रति सप्ताह के कार्य के लिए उन्हें कम-से-कम एक अनिवार्य अवकाश मिले।

6.2 हालांकि कपड़ा उद्योग में ओवरटाइम कभी-कभी ज़रूरी हो जाता है, परंतु यह स्वैच्छिक और कर्मचारियों के साथ आपसी सहमति के बाद ही होना चाहिए। किसी भी हाल में यह सप्ताह में 12 घंटे से अधिक न हो और यह किसी व्यक्ति से लगातार न करवाया जाए।

6.3 सप्लायर सभी कामगारों के काम के घंटे पूरी तरह और सटीक ढंग से रिकॉर्ड करें और ये रिकॉर्ड हमेशा अवलोकन के लिए उपलब्ध रहें।

7. कोई भेदभाव न हो

7.1 फ़ैक्टरियाँ कामगारों को उनकी प्रतिभा के आधार पर काम दें न कि उनके व्यक्तिगत गुणों या विश्वासों के आधार पर।

7.2 किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, आयु, विकलांगता, यौन पसंद, राष्ट्रीयता, राजनीतिक सोच, सामाजिक और जातीय मूल, मातृत्व या वैवाहिक अवस्था के आधार पर रोज़गार, वेतन, लाभ, प्रशिक्षण सुविधाओं, उन्नति, अनुशासन, बर्खास्तगी या रिटायरमेंट आदि के विषयों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

7.3 पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और साथ ही काम का समान मूल्यांकन और सभी पदों को भरने के समान मौके मिलने चाहिए।

7.4 महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और पालन के दौरान फ़ैक्टरी की ओर से सुविधाएं, सेवाएं और आवास उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।

8. निरंतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए

8.1 जहाँ तक संभव हो काम राष्ट्रीय प्रथाओं और कानूनों के मान्यता प्राप्त रोज़गार सम्बन्धों के आधार पर ही हो।

8.2 कामगारों के प्रति निरंतर रोज़गार से पैदा होने वाले श्रम और सामाजिक सुरक्षा क़ानूनों के दायित्वों को केवल-श्रम, उप-ठेकेदारी, गृह कार्य व्यवस्थाओं, प्रशिक्षु स्कीमों के माध्यम से निरस्त न किया जाए, जिनमें असली मंशा कामगारों को प्रशिक्षण देने या निरंतर रोज़गार देने की नहीं होती है, और न ही इन्हें नियत-अवधि ठेके अधिक उपयोग करके निरस्त किया जाए।

9. कोई उत्पीड़न या दुर्वचन मान्य नहीं

9.1 कर्मचारियों के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया जाए।

9.2 फ़ैक्टरी में किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट या दबाव का उपयोग न हो, और न ही किसी प्रकार के मानसिक या गैर-शारीरिक दबाव का, जैसे हिंसा की धमकी, यौन उत्पीड़न या मौखिक दुर्वचन।

10. पर्यावरण

10.1 सप्लायर, उप-ठेकेदार या व्यापार सहयोगी कार्यस्थल संबंधी, उत्पादों और तरीकों के संबंध में पर्यावरण नियमों और मानकों का, और सभी निर्माण स्थलों और पदार्थों के संदर्भ में पर्यावरण-सहयोगी प्रथाओं का भी पालन करें।
सप्लायर, उप-ठेकेदार या व्यापार सहयोगी उपयोग की जा रही भूमि का भी उचित सम्मान करें, ताकि इसको कोई दूरगामी हानि न हो, और इसके वन्य और वनस्पति जीवन की रक्षा हो।

10.2 पर्यावरण मानक इस दस्तावेज़ में आगे दिए गए हैं।

10.3 पर्यावरण चिंताएँ भी सामाजिक चिंताओं के बराबर ही हैं, अतः पर्यावरण विषयों को भी इसी तरह मूल्यांकित किया जाएगा; 11.3 संहिता और प्रणाली कार्यान्वयन देखें।

11. आचार-संहिता और प्रणाली क्रियान्वयन

11.1 सप्लायरों से आशा की जाती है कि वे इस संहिता के पालन के लिए उचित प्रणालियाँ अपनाएँ। प्रत्येक फ़ैक्टरी में प्रबंधन का व्यक्ति नियत हो, जिसकी जिम्मेदारी फ़ैक्टरी के सभी कामगारों को संहिता के नियमों और इसके प्रभावों से अवगत करवाना हो। जहाँ तक हो सके सप्लायर इस संहिता को अपनी आपूर्ति कड़ी में भी लागू करें। यह अनुपालन आवश्यक है और G-Star आचार-संहिता का महत्वपूर्ण भाग है।
सप्लायर, उप-ठेकेदार और व्यापार सहयोगियों के यहाँ आचार-संहिता के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी है इस आचार-संहिता के प्रति वचनबद्धता, प्रबंधन प्रणाली, आंतरिक अवलोकन प्रक्रिया, कामगार प्रशिक्षण और शिकायत दूर करने की प्रक्रियाएँ।

11.2 सप्लायर इस संहिता से संबन्धित और सभी सामाजिक और पर्यावरण नियमों के पालन संबन्धित दस्तावेज़ संभाल कर रखें। जब भी G-Star या लेखाकारों को इनकी ज़रूरत हो, सप्लायर इन्हें तुरंत दिखा सकने में सक्षम होना चाहिए।

11.3 सप्लायर को G-Star की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना G-Star पार्टी द्वारा अनुबंधित से भिन्न अन्य पक्षों को कोई काम आबंटित नहीं करना चाहिए और वह उपठेकेदार द्वारा औपचारिक रूप से इस कोड से सहमति के बाद ही होना चाहिए।

11.4 G-Star के साथ व्यापार करने की शर्तों के रूप में, G-Star उत्पादों के निर्माण में संलग्न हर फ़ैक्टरी के लिए इस G-Star आचार-संहिता का अनुपालन आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि सप्लायर समय-समय G-Star कर्मचारियों और/या लेखाकारों G-Star उत्पादों में संलग्न सभी फ़ैक्टरियों की लेखा क्रियाओं के लिए तैयार रहें। निगरानी प्रक्रिया के भाग के रूप में, इसमें कामगारों के साथ गोपनीय साक्षात्कार या फ़ैक्टरी की समीक्षा शामिल हो सकती है।

11.5 यदि कोई सप्लायर इस आचार-संहिता का उल्लंघन करता है तो हम उसे समय सीमा के अंदर इसे ठीक करने के लिए कहेंगे और यदि वह यह नहीं कर पाता तो उस सप्लायर के साथ व्यापार संबंध पर पुनः विचार किया जाएगा या संबंध समाप्त भी किए जा सकते हैं।

11.6 इस G-Star आचार-संहिता की प्रति कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं में अनुवाद करके G-Star उत्पाद बना रही फ़ैक्टरी के सभी प्रमुख स्थानों पर रखी जाए जहाँ सभी कर्मचारियों की पहुँच हो।

G-Star पर्यावरण मानक

1. प्रतिबद्धता और दायित्व

1.1 सप्लायर के पास लिखित उद्घोषणा होनी चाहिए जिसमें पर्यावरण सुरक्षा की महत्ता निहित हो, जिसे निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

1.2 सप्लायर पर्यावरण निष्पादन का दायित्व औपचारिक रूप से प्रबंधन के सदस्य या/और बोर्ड के सदस्य को सौंपे।

1.3 सप्लायर के पास फ़ार्म होना चाहिए जिसमें पर्यावरण संबंधी विषयों पर कार्य, दायित्व और नाम निहित हों।

2. पर्यावरण प्रबंधन

2.1 सप्लायर के पास लिखित पर्यावरण नीति होनी चाहिए, जिसे निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

2.2 सप्लायर के पास लागू को स्थानीय और राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों और विनियमों और पर्यावरण को कवर करने वाली अन्य (क्लाइंट) अपेक्षाओं का सहावलोकन और उसकी प्रतियाँ होनी चाहिए।

2.3 सप्लायर के पास सभी लागू पर्यावरण क़ानूनों के अनुसार ज़रूरी परमिट होने चाहिए और वे साइट पर उपलब्ध होने चाहिए।

2.4 सप्लायर को ज़रूरी पर्यावरण सुरक्षा बातों का ध्यान रखना चाहिए। सप्लायर को पर्यावरण के पहलुओं का अद्यतित सहावलोकन साइट पर रखना चाहिए (नियमित कार्यों के साथ-साथ घटनाओं और रखरखाव के नियमों को भी)।

2.5 सप्लायर के पास अपने पर्यावरणीय पहलुओं और कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करने और प्राथमिकता देने के लिए बुनियादी प्रबंधन नियंत्रण यथास्थान होना चाहिए, वह पर्यावरण संबंधी बातों को तरजीह दें, और इसके कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए लक्ष्य तय करें।

2.6 सप्लायर के पास स्थानीय अधिकारियों के साथ हुए संवाद और/या संप्रेषण और/या शिकायतों के दस्तावेज़ अवलोकन के लिए सदा तैयार होने चाहिए, जिसमें उसके स्वयं के उत्तर के दस्तावेज़ भी शामिल हैं।

2.7 सप्लायर को कम-से-कम वार्षिक आधार पर कर्मियों (अस्थायी कर्मचारियों, और प्रबंधन सहित) को संबंधित पर्यावरण मामलों पर प्रशिक्षित करना होगा।

2.8 सप्लायर कोशिश करें की सबसे उत्कृष्ट उपलब्ध तकनीक का उपयोग करें।

3. ऊर्जा का उपयोग

3.1 सप्लायर उपयोग हुई ऊर्जा का उचित रिकार्ड रखें, (बिजली, गैस, ईंधन का उपयोग और इसकी लागू भाप या संपीडित हवा) और इनकी खपत को उत्पादकता (उत्पाद संख्या या किलो में उत्पादन) के वृद्धि तौलते रहें।

3.2 प्रति इकाई उत्पादन के वृद्धि ऊर्जा की खपत घटाने का लक्ष्य तय करें।

3.3 सप्लायर अक्षय ऊर्जा स्रोत के उपयोग (जैसे सौर, वायु, भूतापीय, पनबिजली और जैविक ऊर्जा) की संभावनाएँ तलाश करें।

3.4 सप्लायर ऊर्जा के उपयोग और पुनः उपयोग की बेहतरीन तकनीकें तलाशें।

4. जल का उपयोग

4.1 सप्लायर के पास प्रयुक्त पानी के स्रोतों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे स्वच्छ पेय जल, नगर पालिका मुख्य स्रोत, कूप, सतही जल एकत्रित वर्षा जल, पुनः नवीनीकृत जल आदि।

4.2 प्रति स्रोत जल उपयोग का रिकार्ड सप्लायर के पास होना चाहिए और उत्पादकता के वृद्धि इसे मापते रहें (प्रति किलो उत्पादन या उत्पाद की संख्याओं के आधार पर)

4.3 प्रति इकाई उत्पादन पर पानी के उपयोग को घटाने का प्रयास करें।

4.4 सप्लायर प्रयास करें की उच्चतम गुणवत्ता के पानी के स्थान पर 'काम के लिए' उपयुक्त जल का उपयोग करें; इसमें शामिल हैं पेय जल के स्थान पर नवीनीकृत जल, एकत्रित वर्षा जल का उपयोग आदि।

5. कच्चे माल का उपयोग

5.1 सप्लायर को G-Star उत्पादों में कच्चे माल के इस्तेमाल के लिए G-Star सामग्री नीति का पालन करना चाहिए।

5.2 सप्लायर के पास इस्तेमाल हुए मुख्य कच्चे माल का रिकार्ड होना चाहिए (जो उसकी खरीद का लगभग 80% है)।

5.3 प्रति इकाई कच्चे माल के उपयोग पर ध्यान रखा जाए।

5.4 कच्चे माल के उपयोग को घटाने की संभावनाएं तलाशें।

5.5 नवीनीकृत माल को कच्चे माल की तरह उपयोग करने की संभावनाएं तलाशें।

6. खतरनाक पदार्थों का उपयोग

6.1 सप्लायर G-Star की प्रतिबंधित पदार्थ सूची के अनुसार ही काम करें।

6.2 सप्लायर साइट पर सभी खतरनाक पदार्थों का रिकार्ड रखें।

6.3 सप्लायर को MSDS उपलब्ध करवाकर साइट पर इस्तेमाल होने वाले ख़तरनाक पदार्थों की मात्रा और प्रकार का रिकॉर्ड रखना होगा। सप्लायर को वार्षिक रासायनिक जोखिम मूल्यांकन लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि वह पदार्थों से फ़ैक्टरी स्थल पर ख़तरों के बारे में जान सके।

6.4 खतरनाक पदार्थ सदा राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों के अनुरूप ही भंडारित और हैंडल किए जाएँ।

6.5 खतरनाक पदार्थ सदा दूसरी परत के पीछे स्पष्ट रूप से चिह्नित और रखें जाएँ और जहाँ तक हो सके न सड़ने वाले फर्श पर ही उपयोग करें।

6.6 सप्लायर के पास सभी ऊपर के और भूमिगत टैंकों की सूची होनी चाहिए। साथ ही समय-समय पर इनकी लीक आदि के लिए चेकिंग भी आवश्यक है।

6.7 संभव हो तो इन खतरनाक पदार्थों को पर्यावरण-सहयोगी पदार्थों से बदलने का प्रयास करें।

6.8 सप्लायर को रासायनिक प्रबंधन में सुधार करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

6.9 कर्मचारियों के पास आम कामों और दुर्घटनाओं दोनों के समय रसायन हैंडल करने का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसमें निजी सुरक्षा उपकरण शामिल है।

6.10 रिसाव के समय के लिए स्पिल किट तैयार होनी चाहिए। कर्मचारियों को इन पर प्रशिक्षण भी दें।

6.11 सप्लायर को खतरनाक पदार्थ के मामले में सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और हर समय निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए।

7. व्यर्थ जल की निकासी

7.1 सप्लायर निकास होने वाले व्यर्थ जल की गुणवत्ता और मात्रा, उनके स्रोतों, संदूषणों और साइट पर प्रवाह की दिशा का रिकार्ड रखें।

7.2 सप्लायर ध्यान दें कि निकास हो रहे पानी की गुणवत्ता स्थानीय और राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे या निकास परमिट के अनुसार हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निकास के पानी की गुणवत्ता की जांच करते रहें। इन जाँचों की आवृत्ति कानून के अनुसार हो।

7.3 सप्लायर निकास हुए पानी की गुणवत्ता बढ़ाने और मात्रा घटाने का प्रयास करें।

7.4 सप्लायर को उस प्रणाली का पता होना चाहिए कि यदि निकास हुए पानी की गुणवत्ता कम है तो क्या करना है। इस कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दें।

7.5 व्यर्थ जल के उपचार के लिए सप्लायर सबसे उपयुक्त प्रणालियाँ खोजें और अपनाएं।

8. भू- और भू-जल संदूषण

8.1 सप्लायर को ऐसे संभावित प्रदूषकों की पहचान और निगरानी करनी चाहिए जो मिट्टी और भू-जल के प्रदूषण का कारण हो सकते हैं।

8.2 सप्लायर को मिट्टी और भू-जल संदूषण कम करने की संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए।

9. अपशिष्ट

9.1 सप्लायर साइट पर निकलने वाले और ठेकेदार तक जाने वाले सभी प्रकार के अपशिष्टों की मात्रा और किस्म का रिकार्ड रखें। यदि संभव हो निष्पादन के तरीकों का भी रिकार्ड रखें।

9.2 सप्लायर अपशिष्ट घटाने के प्रयास करें और आंतरिक अपशिष्ट कम करने का भी।

9.3 सप्लायर विभिन्न श्रेणी के अपशिष्टों (कपड़ा, कागज़, शीशा प्लास्टिक, धातु, लकड़ी/पैलेट और खतरनाक पदार्थ) को स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों के अनुसार पृथक करें। यदि स्थानीय नियमों में इसके आगे भी श्रेणीकरण संभव है तो और अतिरिक्त संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए।

9.4 अपशिष्टों के निष्पादन, उपचार, यातायात आदि के लिए नियम के अनुसार लाइसेंसशुदा ठेकेदार का ही इस्तेमाल करें।

9.5 सप्लायर ठेकेदार को कहें कि वे भी नवीनीकरण की संभावनाएँ तलाशें।

9.6 सप्लायर विशेष ध्यान दें कि खतरनाक पदार्थों की पैकिंग का उचित रूप से निपटान हों और भोजन आदि दूसरे पदार्थों के लिए पुन: उपयोग न हों।

10. परेशानियाँ

10.1 सप्लायर हर प्रकार की बाधाओं का ध्यान रखें (यातायात से आवाज, बदबू, प्रकाश, ऊष्मा, मशीनों का कंपन आदि (मशीनों से)) और साइट पर और परिसर की सीमा में आवधिक शोर निगरानी का संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।

10.2 सप्लायर सभी शिकायतों का ध्यान रखें और उचित कदम उठाएँ।

10.3 सप्लायर बाधाओं को दूर करने के लिए सभी तरह के ज़रूरी कदम उठाएँ।

11. हवा में उत्सर्जन

11.1 सप्लायर खरीदी गई और प्रक्रियाओं से निकल रही ग्रीन हाउस गैसों और अन्य गैसों का ध्यान रखें।

11.2 हवा उत्सर्जन पर सप्लायर के पास सभी ज़रूरी परमिट हों और इन्हें कानून के अनुसार स्थानीय अधिकारियों को पेश भी करें।

11.3 सप्लायर को हवा में उत्सर्जन की मात्रा और प्रकार का रिकार्ड रखना चाहिए।

11.4 सप्लायर के पास इन्हें घटाने और नियंत्रण के उपाय भी उपलब्ध हों।

11.5 सप्लायर सदा बेहतरीन तकनीक की प्रणालियाँ उपयोग करें जिससे उत्सर्जन घटे।

यदि इस आचार-संहिता पर आपकी कोई टिप्पणी है या आप इसके उल्लंघन के विषय में रिपोर्ट करना चाहते हैं तो संपर्क करने में हिचकिचाएँ नहीं:

G-Star Raw C.V.
जोआन मुयसकेनस्वेग 39
1114 AN एम्स्टर्डम
पोस्टबस12177
1100 AD, एम्स्टर्डम
नीदरलैंड्स

ई-मेल: cr@g-star.com

G-Star आचार-संहिता लिखने के लिए निम्नलिखित संदर्भ सामग्री का उपयोग किया गया:

- संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (http://www.un.org/Overview/rights.html)
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मूल सम्मेलन और उनकी संबंधित सिफ़ारिशें (http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en)
- नैतिक ट्रेडिंग पहल बेस कोड (http://www.ethicaltrade.org)

RAW

G-STAR RAW
g-star.com